

Hkk- iz l s@Hkk- iq l s@Hkk- o- l s ea inklufr ds fy, p; u l febr dh cBdka ds vk; kstu  
grq iLrko ds l kfk vk; kx dks iLrq fd, tkus ds fy, vi{kr l puk @ iys[ka dk fooj.k

1- fjDr; ka % ftu o"kkā ds fy, p; u l fp; ka dks r\$ kj fd; k tkuk vi{kr g\$ mu o"kkā ds fy, fjDr; ka dk Li"V fu/kkz.k djus okys  
Hkkjr l jdkj ds vks'k dh i frA

2- ofj"Brk l uph % jkT; fl foy@ifyl @ou l ok vf/kdkfj; ka ftuea l s Hkk- iz l s@ Hkk- iq l s@ Hkk- o- l s ea inklufr dh tkuh g\$  
ftl ea dh tle frfFk, LFkk; hdj.k dh frfFk, vuq fpr tkfr@vuq fpr tu tkfr dh flFkfr, , l h , l @, l ih , l @, l , Q , l vkfn ds  
vgd xM ea yxkrkj fu; fDr dh frfFk n'kkZus okyh i wKZ , oa i dkr' kr ofj"Brk l uph A

3- ik=rk l uph % vuyXud 3-1 (jk-fl -l s), 3-2 (jk-i q l s) , oa 3-3 (jk-o-l s) ds vuq kj p; u l febr }jk fopkj fd, tkus ds fy, vi{kr  
vf/kdkfj; ka dh ik=rk l uph (tgka o"kk&okj ik=rk l uph yxw g\$A vuyXud 3-4 ea QkEw ds vuq kj x\$ &jk-fl -l s vf/kdkfj; ka ds l aak ea  
thouRRKA vuyXud 3-4&d ea QkEw ds vuq kj p; u l febr ds fopkj kfkZ iLrkfor x\$ jk- fl - l s vf/kdkfj; ka ds l esdr fooj.k A

4- vuq kkl fud ekeys @'kkfLr; ka vkfn dk fooj.k % ik= vf/kdkfj; ka ds fo: ~ yfcr vuq kkl fud@ vki jkf/kd dk; bkg; ka dh  
uohure flFkfr ftl ea l f{klr rF; ka vk\$ vkjki ka dh iNfr ds l kfk&l kfk l aaf/kr vf/kdkjh dks vkjki i = tkjh djus dh frfFk vuyXud 4-1  
ea QkEw ds vuq kj n'kkZl xbl gkA ; fn Mh b@Mh ih vkfn ds ifj.kkeLo: i 'kkfLr vf/kjki r dh xbl g\$ vuyXud 4-2 ea QkEw ds vuq kj  
, s h 'kkfLr; ka ds C; k\$ s Hkh fn, tk, a A

5- l R; fu"Bk i ek.ki = % ik= vf/kdkfj; ka dh l R; fu"Bk dks i ekf.kr djus@jksdus l aakh l R; fu"Bk i ek.ki = fof/kor : i l s eq;  
l fpo }jkj glrk{kfjr gkA vuyXud 5 ea ik: i ds vuq kj ik= vf/kdkfj; ka dh l R; fu"Bk dks jksdus ds dkj .ka l fgr muds l f{klr C; k\$ s Hkh  
n'kkZ, tk, A

6- okkf"kd xki uh; fj i ks/ka ea ifrdwy fVlif.k; ka % jkT; l ok vf/kdkfj; ka dh ok- xks fj- ea ifrdwy fVlif.k; ka ds l a'k.k dk fooj.k  
rFkk dk- iz fo- ds fnuad 07-07-1981 ds dk; kzy; Kki u ds vuq kj , s h fVlif.k; ka ds i R; konu vuyXud &6 ea QkEw ds vuq kj gkA

7- okkf"kd xki uh; fj i ks/Z Mkft; j % ik= vf/kdkfj; ka ds i wKZ ok-xks fj- Mkft; j ds l kfk ok-xksfj- dh o"kk&okj mi yC/krk n'kkZus okyk  
fooj.k iLrko ds l kfk iLrq fd; k tk, A ; fn dN ok-xksfj-@ [kM ok-xksfj- mi yC/k ugha g\$ Hkkjr l jdkj (dk- iz fo-) ds tgykbz 1988 ds  
dk; kzy; Kki u ea l ekfo"V fd, x, vuq kj o\$ k dkj .ka dks n'kkZus okyk i ek.ki = l aaf/kr ok-xksfj- Mkft; j ds l kfk l ayXu fd; k tk, A  
vuyXud&7 ea QkEw ds vuq kj ok-xksfj- dh vuq yC/krk dh flFkfr vk\$ bl ds dkj .k n'kkZus okyk fooj.k Hkh iLrq fd; k tk, A

8- U; k; ky; ds funs'k % vnkyrh ekeyka vk\$ U; k; ky; h vks'ka (vrfje ; k vfre) ftudk p; u l uph ij i Hkko i Mrk gks ftl ea  
l f{klr rF; ka rFkk U; k; ky; h ekeys dh i kl fxdrk l fpr djrs gq p; u l uph l s vuyXud 8 ds vuq kj iLrq fd; k tk, A

9- p;u l febr cBd dk xBu % cBd ds l e; bl vk'k; dk iæk.k i= Hkh iLrqr fd;k tk, fd p;u l febr dh cBd ea Hkkx yus okys jkT; ljdkj ds vf/kdkjh fuf'pr : i l s Hkk-i zl s@Hkk-i ql s@Hkk-o-l s inklufr fofu; e ea fofufnZV p;u l febr ds l dkkf/kr xBu ds vuq kj gñ vkñ vuqyXud 9 ds vuq kj ; s vf/kdkjh vf[ky Hkkjrh; l ok ds l nL; gñ

10- l ædkh u gkus dk iæk.k i= % p;u l febr dh cBd vkj ãk gkus l s igys p;u l febr ds l nL; ka l s l ædkh u gkus dk iæk.k i= ij gLrk{kj djuk vi f{kr gS tks ; g iækf.kr djrk gS fd p;u l febr }kjk muds fdl h Hkh fudV l ædkh ij fopkj ugha fd;k tk jgk gS vkñ ; g fd os vU; Fkk : i l s fdl h fof'k"V mEehnokj ea : fp ugha j [krs gñ A p;u l febr ea jkT; ljdkj dk i frfuf/kRo djus okys l nL; ka dks Hkh bl vi sñk ds fo"k; ea l fpr fd;k tk, vkñ mul s Hkh bl vk'k; dk iæk.k i= vflre : i l s fy;k tk, vkñ vuqyXud &10 ds vuq kj vk; ksx dks iLrqr fd;k tk, A

11- l a dZ grq C; kñ s % jkT; ljdkj dk i frfuf/kRo djus okys p;u l febr ds l nL; ka ds uke, i nuke, nij Hkk"k l a ; ka

12- xñ &jk- fl - l s vf/kdkfj ; ka ds ekeys ea Åij fn, x, iñ k&1, 3 l s 10 ds vfrfjDr, bl vk'k; dk iæk.k i= Hkh iLrqr fd;k tk, fd jkT; ljdkj }kjk vuq kfl r xñ &jk- fl - l s vf/kdkjh mRd"V ; kñ; rk , oa {kerk j [krs gñ LFkk; iu jktif=r in /kkj.k fd, gñ vkñ ftUgkus p;u l fph o"kl dh igyh tuojh dks jkT; ljdkj ds v/khu fdl h Hkh in ij, tks vuqyXud&11 ea QkñV ds vuq kj jkT; fl foy l ok ea mi l ekgrkZ ds in ds : i ea l ed{k ?kks"kr fd;k x;k gS 8 o"kkZ dh vuojr l ok i wKZ dh gñ jkT; ds v/khu xñ &jk- fl - l s inka dks mi l ekgrkZ ds in ds l ed{k ?kks"kr djus okys vkn'sk dh , d i fr Hkh iLrqr dh tk, A

अनुबंध- ख  
जांच सूची-I

राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की भा प्र से(एस सी एस)/ भा पु से/ भा व से में पदोन्नति के लिए चयन समिति बैठक आयोजित करने के लिए प्रस्ताव भेजने के संबंध में जांच सूची

(जांच सूची तथा अनुबंध संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट [www.upsc.gov.in](http://www.upsc.gov.in) पर उपलब्ध हैं)

राज्य का नाम :

-----पदोन्नति के लिए प्रस्ताव :

वर्ष: जिसके लिए चयन सूची तैयार की जानी है :

क्या नया प्रस्ताव तैयार किया गया है :

चयन सूची/ पहले से तैयार चयन सूची की समीक्षा की जानी है ।

यदि समीक्षा चयन समिति बैठक आयोजित की जानी है,

अदालत के विशिष्ट निर्देशों का उल्लेख करें ।

यदि जांच सूची के अनुसार प्रस्ताव के साथ अनुबंधों/ दस्तावेजों में आयोग को प्रस्तुत की गई जानकारी सभी प्रकार से परिपूर्ण है और उसके सभी कॉलम अपेक्षित दस्तावेजों/ वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सहित विधिवत् रूप से भरे गए हैं तो प्रस्ताव को पूर्ण माना जाएगा । प्रस्ताव के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या भी दर्शाई जानी चाहिए ।

क्रम सं.		हां/ ना । उस पृष्ठ की संख्या दर्शाएं जिसके साथ दस्तावेज लगाए गए हैं ।
1.	<b>रिक्तियां :</b>	
क.	भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों की संख्या	
ख.	क्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई रिक्तियों संबंधी आदेश की प्रति संलग्न की गई है ?	
2	<b>वरिष्ठता सूची :</b>	
क.	क्या चयन सूची तैयार किए जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी की राज्य सिविल सेवा/ राज्य पुलिस सेवा/ राज्य वन सेवा के अधिकारियों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित/ अधिसूचित कर दी गई है ।	
ख.	क्या प्रकाशित वरिष्ठता सूची की अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत	

	की गई है ।	
ग.	यदि वरिष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की गई है तो क्या इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि आयोग को प्रस्तुत की गई वरिष्ठता सूची पूर्ण, अंतिम और प्रयोग की जा रही नवीनतम वरिष्ठता सूची है ?	
घ.	क्या जन्म की तारीख, अ जा/अ ज जा का विवरण, राज्य सिविल सेवा/ राज्य पुलिस सेवा/ राज्य वन सेवा में निरंतर नियुक्ति की तारीख, राज्य सेवा में स्थायीकरण का उल्लेख वरिष्ठता सूची में कर दिया गया है ?	
ड.	i. क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/ मृत्यु/ बरखास्तगी/ सेवा से निष्कासन आदि जो ऊपर दर्शाई गई वरिष्ठता सूची जारी किए जाने के बाद घटित हुई है, का विवरण दिया गया है और उस पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं । ii. यदि नहीं तो बाद की इन सब घटनाओं, उनके घटित होने की तारीख का उल्लेख वरिष्ठता सूची में संबंधित क्रम सं. को दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।	
3.	<b>पात्रता सूची :</b>	
क.	क्या पात्रता सूची (वर्ष वार पात्रता सूची जहां कहीं लागू हो) अनुबंध-3.1(राज्य सिविल सेवा), 3.2(राज्य पुलिस सेवा) तथा 3.3(राज्य वन सेवा) में प्रस्तुत की गई ।	
ख.	i. क्या पात्रता सूची में शामिल किए गए अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता और वरिष्ठता सूची में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता में कोई अंतर है ? ii. क्या अनुबंध 3.1/ 3.2/ 3.3 जिससे भी संबंधित हो, के अभ्युक्तियों वाले कॉलम में उन अधिकारियों के नामों के सामने ऐसे कारण दर्शाए गए हैं और क्या उस संबंध में राज्य सरकार के आदेशों की प्रतियां संलग्न की गई हैं ?	
ग.	i. क्या रिक्ति वाले वर्ष की एक जनवरी को पात्रता रखने वाले और उस वर्ष की 31 दिसम्बर को पदोन्नति के लिए उपलब्ध अधिकारियों के नाम पात्रता सूची में शामिल किए गए हैं ? ii. क्या पात्रता सूची में दिए गए उम्मीदवारों के नामों की वर्तनी वरिष्ठता सूची में दर्शाए गए नामों की वर्तनी एक समान है ?	
घ.	क्या पहले तथा दूसरे वर्ष तथा आगामी वर्षों के लिए पात्रता सूची में शामिल किए गए अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है :-	

	<p><u>प्रथम वर्ष पात्रता सूची</u> विचार किए जाने संबंधी सामान्य सीमा अर्थात् रिक्तियों की संख्या से तीन गुणी संख्या जैसा कि उपर्युक्त कॉलम 1(क) में निर्दिष्ट है ।</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>पिछली चयन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किए गए अधिकारियों के नाम लेकिन विचाराधीन चयन सूची के लिए अधिक आयु है ।</p> <p><u>दूसरे वर्ष से आगे</u> विचार किए जाने संबंधी सामान्य सीमा, अर्थात् संगत चयन सूची वर्ष के लिए रिक्तियों की संख्या की तीन गुणा</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>प्रथम वर्ष की रिक्तियों से शुरू करके पिछले वर्षों की चयन सूचियों की रिक्तियों की संख्या के बराबर पात्र अधिकारियों की संख्या ।</p>	
ड.	क्या पात्रता सूची में शामिल किए गए अधिकारियों के नाम तथा जन्म की तारीख को वरिष्ठता सूची के साथ मिलान कर लिया गया है और यदि कोई भिन्नता है तो उसका कारण दर्शाएं ?	
च.	क्या वरिष्ठता सूची में आयु तथा अर्हक सेवा पूरी करने के मानदंडों को पूरा करने वाले किसी अधिकारी को पात्रता सूची में शामिल नहीं किया गया है ? यदि ऐसा है तो क्या इस संबंध में कारणों का उल्लेख किया है ?	
4	<b>अनुशासनिक/ आपराधिक कार्यवाहियों का विवरण :</b> क्या अनुबंध 4.1 में अनुशासनिक/ आपराधिक कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया है ?	
5.	<b>शास्तियों का स्तर :</b> क्या अनुबंध 4.2 में पिछले 10 वर्षों के दौरान पात्र अधिकारियों पर लगाई गई शास्तियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है ?	
6.	<b>सत्यनिष्ठा :</b> क्या मुख्य सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पात्र अधिकारियों को जारी किए गए सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जारी करने/ रोकने संबंधी कारणों सहित अनुबंध-5 में प्रस्तुत किया गया है ?	
7	<b>वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में की गई प्रतिकूल टिप्पणियां :</b> क्या पात्र अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल	

	टिप्पणियों तथा इन टिप्पणियों के विरुद्ध दिए गए अभ्यावेदन पर विचार किए जाने संबंधी विवरण अनुबंध 6 में प्रस्तुत किया गया ?	
<b>8</b>	<b>वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियर :</b>	
क.	क्या पात्र अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियर उपलब्ध होने संबंधी विवरण अनुबंध-7 में प्रस्तुत किया गया ।	
ख.	क्या चयन सूची वाले वर्ष से पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/ आंशिक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियर यदि कोई हो, सहित सम्पूर्ण वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियर प्रस्तुत किए गए हैं ? [उदाहरण के लिए 2012 की चयन सूची के लिए मार्च 2012 तक तथा वर्ष 2011 की चयन सूची के लिए मार्च 2011 तक की गोपनीय रिपोर्ट डोजियर प्रस्तुत किया जाना है]	
ग.	क्या अनुबंध-7 में गुम हुई वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों का विवरण दिया गया है ?	
घ.	क्या कोई रिपोर्ट नहीं/ कोई समीक्षा नहीं/ कोई स्वीकृति नहीं प्रमाण पत्र, वैध कारण दर्शाते हुए वार्षिक गोपनीय डोजियर के साथ जोड़े गए हैं ?	
ड.	क्या क्षेत्रीय भाषा में लिखी गई वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियर के अंग्रेजी अनुवाद को राज्य सरकार के सचिव/ मुख्य सचिव के अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित करने के बाद वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियर के साथ जोड़ा गया है ?	
च.	क्या वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों को सफाई के साथ क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया गया है ?	
छ.	क्या पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों पर विधिवत रूप से फ्लैग लगा दिए गए हैं ?	
ज.	क्या इस आशय का कोई प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है कि आयोग को भेजे गए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियर राज्य सरकार की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट नियमावली के अनुसार है ?	
झ.	क्या इस आशय का कोई प्रमाण पत्र वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों के साथ संलग्न किया गया है कि पात्र अधिकारियों के वार्षिक डोजियरों के बारे में अदालती निर्देशों या अन्यथा के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों/ सूचनाओं को संगत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों के मामले में लागू किया गया है/ वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोजियरों में रख दिया गया है ?	

9	<b>अदालती निर्देश :</b>	
क.	क्या चयन सूची पर लागू होने वाले अदालती निर्देश का विवरण अनुबंध 8 में प्रस्तुत किया गया है ?	
ख.	क्या पात्र अधिकारियों के बारे में लागू होने वाला कोई अदालती निर्देश अभी भी लंबित हैं ?	
10	<b>पिछली चयन समिति बैठक की अनुशंसाओं को लागू करना :</b> क्या पिछली चयन समिति बैठक के नियुक्ति आदेशों की प्रतियां संलग्न की गई हैं ?	
11.	<b>चयन समिति बैठक के गठन संबंधी प्रमाण पत्र :</b> क्या इस आशय का कोई प्रमाण पत्र अनुबंध 9 में प्रस्तुत किया गया है कि चयन समिति बैठक में भाग लेने वाले राज्य सरकार के अधिकारी संबंधित पदोन्नति नियमावली के अनुसार गठित की गई चयन समिति के संशोधित गठन के अनुरूप बिल्कुल वही है ?	
12	<b>संबंध न होने संबंधी प्रमाण पत्र :</b>	
क.	क्या चयन समिति बैठक से पहले चयन समिति बैठक के सदस्यों द्वारा यह जानकारी दे दी गई है कि अनुबंध 10 में संबंध न होने संबंधी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है ?	
ख.	क्या चयन समिति बैठकों के सदस्यों से इस आशय का प्रमाण पत्र पहले ही ले लिया गया है और प्रस्तुत कर दिया गया है ?	
13	<b>सम्पर्क विवरण :</b> क्या चयन समिति में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले और आयोग को प्रस्ताव भेजने वाले प्रभारी अधिकारियों के नाम, पदनाम, टेलीफोन सं. आयोग को प्रस्तुत कर दिए गए हैं ?	

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सूचना पूर्ण है । आयोग को प्रस्ताव के साथ भेजे जाने वाले संलग्न दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी पाए जाने की स्थिति में, चाहे यह कमी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय पाई जाए अथवा बाद में, यह समझा जाएगा कि आयोग प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा और उसे राज्य सरकार को वापस लौटा देगा ।

( )

नाम -----

पदनाम -----

(राज्य सरकार के कम से कम सचिव के स्तर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)

**अनुबंध 3.1 (एस सी एस)**

**क. राज्य सिविल सेवा के उन अधिकारियों के विवरण जो चयन सूची वर्ष की प्रथम जनवरी को उनकी वरिष्ठता के अनुसार भा. प्र. से. में पदोन्नति के लिए विचारार्थ पात्र हैं ।**

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	क्या अधिकारी अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. से संबंधित है ?	जन्म तिथि	क्या अधिकारी उस वर्ष की जनवरी को पहली तारीख को 54 वर्ष से कम है, जिस वर्ष के लिए चयन सूची तैयार की जानी है ?	क्या अधिकारी उस वर्ष के दिसम्बर की 31 तारीख को उपलब्ध है, जिस वर्ष के लिए चयन सूची तैयार की जानी है ?	राज्य सिविल सेवा में नियुक्ति की तिथि	राज्य सिविल सेवा में स्थायीकरण की तारीख	डिप्टी कलैक्टर या समकक्ष पद पर लगातार बने रहने की तारीख	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

- नोट 1. यदि किसी अधिकारी को अर्हता सूची में शामिल नहीं किया गया है, परन्तु उसका नाम वरिष्ठता सूची में शामिल है, तो उसके शामिल न करने के कारणों का उल्लेख किया जाए।
2. इसी प्रकार यदि किसी अधिकारी को अर्हता सूची में शामिल किया गया है, परन्तु उसका नाम वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं है, तो उसे शामिल करने के कारणों का भी उल्लेख किया जाए।

**ख. राज्य सरकार में कम से कम सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि अर्हता सूची में केवल उन अधिकारियों का नाम है जो चयन सूची वर्ष की 01 जनवरी को 54 वर्ष की आयु के नहीं हुए हैं और वे चयन सूची वर्ष के 31 दिसम्बर को सेवा में उपलब्ध थे ।

हस्ताक्षर

नाम : .....

पदनाम : .....



**अनुबंध 3.2 (एस पी एस)**

क. राज्य पुलिस सेवा के उन अधिकारियों के विवरण जो चयन सूची वर्ष की प्रथम जनवरी को उनकी वरिष्ठता के अनुसार भा. पु से. में पदोन्नति के लिए विचारार्थ पात्र हैं ।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	क्या अधिकारी अ. जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. से संबंधित है ?	जन्म तिथि	क्या अधिकारी उस वर्ष की जनवरी की पहली तारीख को 54 वर्ष से कम है, जिस वर्ष के लिए चयन सूची तैयार की जानी है ?	क्या अधिकारी उस वर्ष के दिसम्बर की 31 तारीख को उपलब्ध है, जिस वर्ष के लिए चयन सूची तैयार की जानी है ?	राज्य पुलिस सेवा में नियुक्ति की तिथि	राज्य पुलिस सेवा में स्थायीकरण की तारीख	डिप्टी पुलिस अधीक्षक या समकक्ष पद पर लगातार बने रहने की तारीख	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

नोट 1. यदि किसी अधिकारी को अर्हता सूची में शामिल नहीं किया गया है, परन्तु उसका नाम वरिष्ठता सूची में शामिल है, तो उसके शामिल न करने के कारणों का उल्लेख किया जाए।

2. इसी प्रकार यदि किसी अधिकारी को अर्हता सूची में शामिल किया गया है, परन्तु उसका नाम वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं है, तो उसे शामिल करने के कारणों का भी उल्लेख किया जाए।

**ख. राज्य सरकार में कम से कम सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि अर्हता सूची में केवल उन अधिकारियों का नाम है जो चयन सूची वर्ष की 01 जनवरी को 54 वर्ष की आयु के नहीं हुए हैं और वे चयन सूची वर्ष के 31 दिसम्बर को सेवा में उपलब्ध थे ।

हस्ताक्षर

नाम : .....

पदनाम : .....

**अनुबंध 3.3 (एस एफ एस)**

**क. राज्य वन सेवा के उन अधिकारियों के विवरण जो चयन सूची वर्ष की प्रथम जनवरी को उनकी वरिष्ठता के अनुसार भा. व. से. में पदोन्नति के लिए विचारार्थ पात्र हैं ।**

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	क्या अधिकारी अ. जा./ अ.ज.जा. / अ.पि.व. से संबंधित है ?	जन्म तिथि	क्या अधिकारी उस वर्ष की जनवरी की पहली तारीख को 54 वर्ष से कम है, जिस वर्ष के लिए चयन सूची तैयार की जानी है ?	क्या अधिकारी उस वर्ष के दिसम्बर की 31 तारीख को उपलब्ध है, जिस वर्ष के लिए चयन सूची तैयार की जानी है ?	राज्य वन सेवा में नियुक्ति की तिथि	राज्य वन सेवा में स्थायी-करण की तारीख	राज्य वन सेवा में शामिल पदों पर लगातार बने रहने की तारीख	वन अनुसंधान संस्थान एवं कॉलेज देहरादून में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण की अवधि या किसी अन्य संस्थान में सं.लो.से. आ. के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसा कोई अन्य प्रशिक्षण	ऐसे प्रशिक्षण में शामिल होने की तारीख	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

- नोट 1. यदि किसी अधिकारी को अर्हता सूची में शामिल नहीं किया गया है, परन्तु उसका नाम वरिष्ठता सूची में शामिल है, तो उसके शामिल न करने के कारणों का उल्लेख किया जाए।
2. इसी प्रकार यदि किसी अधिकारी को अर्हता सूची में शामिल किया गया है, परन्तु उसका नाम वरिष्ठता सूची में शामिल नहीं है, तो उसे शामिल करने के कारणों का भी उल्लेख किया जाए।

**ख. राज्य सरकार में कम से कम सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि अर्हता सूची में अधिकारियों का नाम है जो चयन सूची वर्ष की 01 जनवरी को 54 वर्ष की आयु के नहीं हुए हैं और वे चयन सूची वर्ष के 31 दिसम्बर को सेवा में उपलब्ध थे ।

हस्ताक्षर

नाम :.....

पदनाम :.....

vuyxud & 3-4 xj&jkT; fl foy l ok (xj&jkT; fl foy l ok)  
xj&jkT; fl foy l ok vf/kdkfj; ka dk thou&ORr

- 1- vf/kdkjh dk uke %
- 2- tle dh rkjh[k %
- 3- 'kF{kd ; kx; rk, a %
- 4- D; k vuq wpr tkfr@vuq wpr tu&tkfr@

v-fi-o- lsl æf/kr gS %

- 5- jktif=r in ea LFkk; hdj.k dh rkjh[k %
- 6- oræku /kkfjr in %
- 7- (i) in ij fu; qDr dh rkjh[k ftl sjkT; fl foy l ok ea  
mi l ekgrkz (fMIVh dyDVj) ds in ds l ed{k ?kkf"kr  
fd; k x; k gS %
- (ii) in dk uke %
- (i) D; k ey: i l sin ij /kkfjr gS vkj fdl rkjh[k l s %
- 8- /kkfjr jktif=r in dk fooj.k %

dæ l a	/kkfjr in dk uke	in dh Js kh	vof/k	orueku	M; w/h (l æksi ea)

- 9- mi yfC/k; ka l æksi ea (iædk'ku ; fn dkbz gks l fgr)
- 10- fy, x, i f'k{k.k



## अनुबंध-4.1

### (क) पात्र अधिकारियों के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण ।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	अधिकारियों को आरोप-पत्र जारी करने की तारीख	संक्षिप्त तथ्य एवं आरोपों की प्रकृति	वर्तमान स्थिति

### (ख) पात्र अधिकारियों के विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्रवाई का विवरण ।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	न्यायालय में आरोप पत्र दायर करने की तारीख	संक्षिप्त तथ्य तथा आरोपों की प्रकृति	वर्तमान स्थिति

टिप्पणी :- कार्रवाई को लंबित केवल तभी माना जाएगा जब पदोन्नति विनियमों में निर्दिष्टानुसार अधिकारी को आरोप पत्र प्रदान / न्यायालय में दायर कर दिया गया हो। {विनियम 5 (5) के परंतुक के तहत व्याख्या 1}



**सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र \***

**क. सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र के प्रमाणन के लिए प्रपत्र**

दिनांक :

**सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र**

राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के संदर्भ में उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करती है :-

क्रम सं.	नाम

सरकार के मुख्य सचिव

**ख. सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोकने के लिए प्रपत्र**

दिनांक :

**सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र**

राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारियों के नाम के आगे दर्शाए गए कारणों से उनका सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोकती है :-

क्रम सं.	नाम	सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोकने के कारण (संक्षेप में )

सरकार के मुख्य सचिव

\* टिप्पणी:- (i) कृपया भारत सरकार के अनुदेश सं. 14/23/65- अ.भा.से. (III), दिनांक 28.07.1966, सं. 17/3/70- अ.भा.से. (III), दिनांक 26.05.1970, सं. 14015/18/99- अ.भा.से., दिनांक 27.10.1999 और फा. सं. 14015/18/99- अ.भा.से. (I), दिनांक 27.10.2001 का सन्दर्भ ले ।

## अनुबंध-6

(क) पात्र अधिकारियों के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणियों के संप्रेषण संबंधी प्रमाण पत्र \*

- (i) राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्र अधिकारियों के चरित्रपंजी में प्रतिकूल टिप्पणी संबंधित अधिकारी को संप्रेषित नहीं की गई है ।

क्रम सं	नाम	अवधि

- (ii) निम्नलिखित पात्र अधिकारियों के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी संप्रेषित कर दी गई है परन्तु संबंधित अधिकारियों से अभी तक कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है हालांकि अभ्यावेदन करने की समय सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है ।

क्रम सं	नाम	अवधि

- (iii) निम्नलिखित अधिकारियों के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी के विरुद्ध अभ्यावेदन निर्धारित समय में प्राप्त हो गया है परन्तु राज्य सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना शेष है ।

क्रम सं	नाम	अवधि

\* टिप्पणी: कृपया अखिल भारतीय सेवा नियमावली भाग-II संस्करण (भारत सरकार अनुदेश-8 पृष्ठ 58) का सन्दर्भ लें ।





2-												

@ का. एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 22.07.1988 के पत्र सं. 14015/7/88-अ.भा.से.(1) के अनुसार वैध कारण।

- राज्य सरकार को अधिकारी की पूर्ण वा.गो.रि. प्रस्तुत करनी अपेक्षित है। पूर्ववर्ती पांच वर्षों की वा.गो.रि. पर विधिवत रूप से पताका लगाई जाए। यदि कुछ वा.गो.रि. नहीं लिखी गई हैं और एन आर सी जोड़ा गया है, तो पूर्ववर्ती वा.गो.रि. पर पताका लगाई जाए और उपर्युक्त के अनुसार विवरण प्रस्तुत किया जाए।
- वा.गो.रि. की कोई फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जाती है। आपवादिक परिस्थितियों में, यदि फोटो प्रति प्रस्तुत की जाती है, इसे विधिवत रूप से अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए और मूल वा.गो.रि. को न भेजने के कारण दर्शाएं जाने चाहिए।
- आयोग को प्रस्तुत किए जाने वाली वा.गो.रि. की सूक्ष्म रूप से संवीक्षा की जानी चाहिए और कमी में सुधार करने के बाद आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली वा.गो.रि.की वैधता की जांच राज्य सरकार के वा.गो.रि. की नियमावली, यदि कोई हो, की शर्तों के अनुसार की जानी चाहिए। यू.एन.रिपोर्ट/विशेष रिपोर्ट, आदि की वैधता यदि कोई हो, को राज्य सरकार की वा.गो.रि. नियमावली के अनुसार स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए।

(ख) गुम हुई वा.गो.रि. का विवरण

क्र.सं.	नाम	अवधि	कारण	क्या वा.गो.रि. डोजियर में वैध कारणों को दर्शाते हुए कोई रिपोर्ट नहीं प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ग) वा.गो.रि. से संबंधित प्रमाण पत्र

( वे अधिकारी जो राज्य सरकार में सचिव के रैंक से नीचे के न हों, के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं )

यह प्रमाणित किया जाता है अदालती निदेशों या अन्यथा के अनुसरण में पात्र अधिकारियों से संबंधित सभी आदेश/सूचनाएं जो राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, को संगत वा.गो.रि. में समाविष्ट / संगत वा.गो.रि. में रखा गया है।

हस्ताक्षर

नाम-----

पदनाम-----



प्रमाण पत्र (\*)

यह प्रमाणित किया जाता है कि विभागीय चयन समिति में भाग लेने वाले राज्य सरकार के अधिकारी यथार्थ रूप में भा.प्र.से. / भा.पु.से. / भा.व.से. पदोन्नति नियमावली के विनियमन 3 में विनिर्दिष्ट चयन समिति के गठन के अनुसार हैं और ये अधिकारी अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हैं ।

(सचिव)

\* नोट: चयन समिति के गठन में संशोधन के लिए भारत सरकार के दिनांक 31.01.2005 की अधिसूचना का संदर्भ लें।

कोई संबंध नहीं प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि-----संवर्ग के भा.प्र.से./ भा.पु.से./ भा.व.से. में पदोन्नति के लिए चयन समिति द्वारा मेरे किसी भी घनिष्ठ संबंधी के लिए विचार नहीं किया जा रहा है और किसी भी विशेष उम्मीदवार में मेरी कोई रुचि नहीं है।

1. हस्ताक्षर-----

नाम (-----)

पदनाम

2. हस्ताक्षर-----

नाम (-----)

पदनाम

3. हस्ताक्षर-----

नाम (-----)

पदनाम

4. हस्ताक्षर-----

नाम (-----)

पदनाम

5. हस्ताक्षर-----

नाम (-----)

पदनाम

xj & jkT; fl foy l ok ds ik= vf/kdkfj; ka ds l aak ea iæk.k i = (\*)

iækf.kr fd; k tkrk gS fd jkT; ljdkj }kjk vuqkfl r l Hkh vf/kdkjh eyy {kerk ea jktif=r in/kkjh gS rFkk mlGkaus p; u l ph o"K dh igyh tuojh dks jkT; ljdkj ds varxir fdlh ,s eyy in ij de l s de 8 o"K fujarj l ok ijh dj yh gS ftl s jkT; fl foy l ok ea mi l ekgrkZ ds in ds l ed{k ?kkf"kr fd; k x; k gS A

(\*) ukV %1- xj&jkT; fl foy l ok ds inka dks mi l ekgrkZ ds in ds l ed{k ?kkf"kr djus l aakh jkT; ljdkj }kjk tkjh vkns k dh ifr ] fujiokn : i l s l ayXu dh tkuh gS A

2- jkT; ljdkj dks pkfg, fd og inka dks l ed{k ?kkf"kr djrs l e; ] Hkkjr ljdkj ] dkfeZd ,oa if'k{k.k foHkkx }kjk i = l a ,Q- 14015@30@2001&v-Hkk-l s(I)] fnukad 30-05-2001 ds rgr ekeys ij djy ljdkj dks tkjh Lik"Vhdj.k dks di ; k /; ku ea j [ka ] ftl s uhps m) r fd; k x; k gS %&

“ xj&jkT; fl foy l ok ea mDr in ds orueku dks /; ku ea j [ks fcuk ] pkgs og mi l ekgrkZ ds in ds orueku ds l ed{k gks ; k ml l s Åij ds orueku dk gkj ,s k i Lrko jkT; ljdkj dh bl vk'k; dh ?kkf"kr l ayXu fd, fcuk ] bl l aak ea l ær i ko/kkuka ds vuq i ugha gksk fd ; g in jkT; fl foy l ok ea mi l ekgrkZ ds drD; ka ,oa egRo ds l erq; gS ”

## जांच सूची-II

भा.प्र.से. (गैर राज्य सिविल सेवा) में नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक आयोजित करने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए जांच सूची

(जांच सूची तथा अनुलग्नक सं.लो.से.आ. की वेबसाइट [www.upsc.gov.in](http://www.upsc.gov.in) पर भी उपलब्ध हैं)

राज्य का नाम :

जिसके बारे में चयन सूची तैयार की जानी है :

प्रस्ताव को सम्पूर्ण माना जाएगा यदि अनुलग्नक/दस्तावेजों में दी गई सूचनाएं, जांच सूची के अनुसार सभी दृष्टि से पूर्ण हैं तथा प्रस्ताव के साथ भेजे गए अपेक्षित दस्तावेज/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के सभी कॉलम विधिवत् भरे हुए हैं। प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेजों की पृष्ठ सं. भी दर्शाई जाए।

क्रम सं.		हाँ/नहीं
1.	<b>रिक्तियाँ</b>	
क	भारत सरकार द्वारा निर्धारित पदों की संख्या	
ख	क्या रिक्तियों को निर्धारित करने संबंधी भारत सरकार के आदेश की प्रति संलग्न है ?	
2.	<b>पात्रता सूची</b>	
क	क्या गैर राज्य सिविल सेवा के जिन अधिकारियों के बारे में चयन समिति द्वारा विचार किए जाने का प्रस्ताव है, उनका समेकित विवरण अनुलग्नक 3.4-क में प्रस्तुत किया गया है।	
ख	क्या सभी गैर राज्य सिविल सेवा के पात्र अधिकारियों का जीवनवृत्त अनुलग्नक 3.4 के प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है ?	
ग	क्या पात्रता सूची में शामिल किए गए गैर राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के नाम तथा जन्मतिथि को अधिकारी की संबंधित	



	वरिष्ठता सूची से मिलान कर लिया गया है और यदि उसमें कोई भिन्नता है तो उसके कारणों को निर्दिष्ट किया गया है ?	
3.	<b>भा.प्र.से. (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 4 के संदर्भ में गैर राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के पात्रता प्रमाण पत्र</b>	
क	क्या इस आशय का प्रमाण पत्र अनुलग्नक -11 में प्रस्तुत कर दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारी उत्कृष्ट योग्यता तथा क्षमता रखते हैं और वे मूल क्षमता में राजपत्रित पद पर हैं और चयन सूची वाले वर्ष की 1 जनवरी को राज्य सिविल सेवा में डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष घोषित किसी गैर-राज्य सिविल सेवा के पद पर कम से कम 8 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं ।	
ख	क्या विनियम 4 के उद्देश्य से राज्य के अधीन गैर - राज्य सिविल सेवा के पदों को डिप्टी कलेक्टर के समकक्ष घोषित करने संबंधी राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की गई है ?	
4.	<b>वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर में अनुशासनिक/आपराधिक कार्रवाई/ लगाई गई शास्तियाँ, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र, प्रतिकूल अभ्युक्तियों का स्तर</b>	
क	क्या अनुशासनिक कार्रवाई तथा आपराधिक कार्रवाई का विवरण अनुलग्नक 4.1 में प्रस्तुत है ?	
ख	क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान पात्र अधिकारियों के बारे में उनके विरुद्ध लगाई गई शास्तियों का विवरण अनुलग्नक 4.2 में प्रस्तुत किया गया है ?	
ग	क्या सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र रोकने संबंधी कारणों सहित मुख्य सचिव द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित पात्र अधिकारियों का सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र अनुलग्नक-5 में प्रस्तुत कर दिया गया है ?	
घ	क्या पात्र अधिकारियों को गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियरों में प्रतिकूल अभ्युक्तियां तथा ऐसी अभ्युक्तियों के विरुद्ध किए गए अभ्यावेदनों	

	पर विचार करने संबंधी विवरण अनुलग्नक-6 में प्रस्तुत कर दिया गया है ।	
5.	<b>वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर</b>	
क	क्या पात्र अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट की उपलब्धता का विवरण संशोधित अनुलग्नक-7 में प्रस्तुत कर दिया गया है ?	
ख	क्या पात्र अधिकारियों के सम्पूर्ण वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर प्रस्तुत कर दिए गए हैं ?	
ग	क्या वैध कारणों को दर्शाते हुए रिपोर्ट उपलब्ध नहीं प्रमाण-पत्र वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर में जोड़ दिया गया ?	
घ	क्या क्षेत्रीय भाषा में लिखी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का अंग्रेज़ी अनुवाद राज्य के सचिव/प्रधान सचिव के रैंक के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित करके वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियर के साथ जोड़ दिया गया ?	
ड.	क्या वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियरों को क्रमानुसार ठीक ढंग से व्यवस्थित किया गया है ?	
च	क्या चयन सूची वर्ष से पिछले पांच वर्षों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट डोज़ियरों पर विधिवत् रूप से पताकाएं लगा दी गई हैं ?	
छ	क्या इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि आयोग को अग्नेषित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट राज्य सरकार की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट नियमावली के अनुसार वैध है ?	
6.	<b>अदालती निर्देश</b>	
क	क्या चयन सूची से संबंधित अदालती निर्देशों/आदेशों का विवरण (अंतरिम या अंतिम) अनुलग्नक-8 में प्रस्तुत किया गया है ?	
ख	क्या पात्र अधिकारियों पर लागू होने वाले कुछ अदालती निर्देश लंबित हैं ?	
7.	<b>चयन समिति बैठक के गठन संबंधी प्रमाण-पत्र</b>	

क	क्या इस आशय का प्रमाण-पत्र अनुलग्नक-9 में प्रस्तुत किया गया है कि चयन समिति बैठक में भाग लेने वाले राज्य सरकार के अधिकारी संबंधित पदोन्नति नियमावली के अनुसार चयन समिति के संशोधित गठन के ही अनुसार हैं ?	
8.	<b>कोई संबंध नहीं प्रमाण-पत्र</b>	
क	क्या चयन समिति बैठक के पहले चयन समिति के सदस्यों को अनुलग्नक-10 में कोई संबंध नहीं प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जानकारी दे दी गई है ?	
ख	क्या इस आशय का प्रमाण-पत्र चयन समिति के सदस्यों से अग्रिम रूप से प्राप्त कर लिया गया और प्रस्तुत कर दिया गया ?	
9.	<b>संविदा विवरण</b>	
क	क्या चयन समिति में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले और आयोग के पास प्रस्ताव भेजने वाले प्रभारी अधिकारियों के नाम, पदनाम, टेलीफोन सं. प्रस्तुत कर दिए गए हैं ।	

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सूचनाएं पूर्ण हैं । यदि प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय या बाद में कोई अपूर्ण सूचना/दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाती है तो यह विदित है कि आयोग ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा और इसे इसी रूप में राज्य सरकार को वापिस लौटा दिया जाएगा ।

( )

नाम -----

पदनाम -----

(राज्य सरकार में कम से कम सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं ।)